

उत्तर प्रदेश शासन  
पशुधन अनुभाग-1  
संख्या-3548 / 37-1-10-11(29)/2001  
लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2010

विज्ञप्ति /  
अधिसूचना

श्री राज्यपाल उ०प्र० के समस्त जनपदों में समय-समय पर निर्गत विज्ञप्ति/अधिसूचना द्वारा गठित सोसाइटी फार प्रिवेंशन आफ कूलटी टू एनीमल्स (एस०पी०सी०ए०) को तात्कालिक प्रभाव से भंग करते हुए भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सुझाव के अनुसार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा-38 के अधीन उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियमन) नियम-2001 के अन्तर्गत उ०प्र० के समस्त जनपदों में निम्नवत् सोसाइटी फार प्रिवेंशन आफ कूलटी टू एनीमल (एस०पी०सी०ए०) का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

|   |                                                                                                                                                                                                       |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | जिलाधिकारी                                                                                                                                                                                            | अध्यक्ष    |
| 2 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक                                                                                                                                                                  | उपाध्यक्ष  |
| 3 | जिला वन अधिकारी                                                                                                                                                                                       | सदस्य      |
| 4 | नगर निगम के नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी                                                                                                                                        | सदस्य      |
| 5 | मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग                                                                                                                                                                | सदस्य सचिव |
| 6 | अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत                                                                                                                                                                        | सदस्य      |
| 7 | जनपद/स्थानीय स्तर पर कार्यरत पशुकल्याण कार्यों में संलग्न 05 से 6 मानवतावादी/ पशुप्रेमी/पशुकल्याणकर्ता (मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तावित जिलाधिकारी की संस्तुति पर राज्य सरकार नामित करेगी।) |            |
| 8 | जनपद में कार्यरत पशुकल्याण संस्थाओं के दो प्रतिनिधि (मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तावित, जिलाधिकारी की संस्तुति पर राज्य सरकार नामित करेगी।)                                                   |            |

2- उपरोक्त समिति द्वारा समय समय पर निर्गत नियमों / आदेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों का सम्पादन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।

( डा० हरशरण दास )  
सचिव

संख्या: 3548 (1)/37-1-10, तददिनोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पो0बा0न0-8672, 13/1थर्ड शीवार्ड रोड, बाल्मीकिनगर, थिरुवनमियूर, चेन्नई-600041
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक / परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0
- 5- समस्त जिला वन अधिकारी/नगर निगम के नगर आयुक्त/नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी।
- 6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उ0प्र0
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,/ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
- 10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित आगामी रजट में प्रकाशित कर 2000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
(राम्मू नाथ)  
उप सचिव